Volume-4, Issue-10, October 2017 ISSN: 2349-7637 (Online)

RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)

Research Paper

Available online at: www.rhimrj.co.in

ब्रिटिशकाल में भू–राजस्व प्रणाली का स्वरूप तथा प्रभाव

डॉ0 प्रियंका कुमारी

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

ब्रिटिश काल के दौरान कृषि–भूमि से संबंधित संरचना के तीन स्वरूप स्पष्ट क्रियाशील थे, जिन्होनें कृषि क्षेत्र में उत्पादन, वितरण विनियम और उपभोग को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। उनका असर सामाजिक–आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों और भागों पर भी पड़ा। उन्होंने भूमि के साथ ग्रामीण जनता के विभिन्न भागों के संबंधों को निर्धारित किया और इस प्रकार पैदावर में उनके हिस्सों तथा विनियोजन के तौर तरीकों को तय किया।

यद्यपि परस्पर व्यापन और स्थानीय रीति–रिवाजों के समावेश के उदाहरण भी मिलते हैं, फिर भी ब्रिटिश काल के दौरान तीन प्रकार की भूधृति प्रणालियां स्पष्ट तौर पर दीखती थीं। वे थीं : स्थायी बंदोबस्त अथवा दमामी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और महालवारी बंदोबस्त।

स्थायी बंदोबस्त :–

यह अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया सबसे पहला इंतजाम था। इसके बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यू.पी. तथा अन्य भागों के कुछ जिले थे। इसका अस्तित्व 1950 के दशक के आरंभिक वर्षो तक रहा।

जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (राजस्व वसूलने का) अधिकार प्राप्त की तब उसे राजस्व संबंधी मामलों की कोई जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि सरकारी खजाने के लिए भू–राजस्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली विकसित करना था जिससे कृषि–उत्पादकता पर बिना कोई विपरीत प्रभाव डाले निरंतर राजस्व प्राप्त होता रहे।

कंपनी ने 1765 और 1786 के बीच अनेक व्यवस्थाओं के संबंध में प्रयोग किए परंतु उनसे कोई सार्थक परिणाम प्राप्त होने के बदले कई भ्रांतियाँ और उलझने पैदा हो गई और वे पूरी तरह से असंतोषजनक सिद्ध हुई। बसूली–लागत को घटाने तथा समय पर राजस्व प्राप्त करनें के उद्देश्य पूरे नहीं हो सके और न ही भू–राजस्व क्षमता के विश्वसनीय आकलन ही मिल पाए।

वस्तुतः ईस्ट इंडिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही थी : भू–राजस्व की बंदोबस्ती किनके साथ हो और अवधि तथा भू–राजस्व की राशि के विषय में बंदोबस्ती की शर्ते क्या होनी चाहिए ?

गवर्नर जनरल होकर भारत आने पर लार्ड कार्नवालिस ने देखा कि कृषि और व्यापार बड़ी बुरी हालत में है; जमींदार और रैयत, दोनों, गरीबी तथा तंगहाली से पीड़ित हैं तथा केवल महाजन समुदाय फल–फूल रहा है। इसका मुख्य कारण थाः राजस्व मामलों की तत्कालीन स्थिति और उनके अनुसार, इसका समाधान जमींदारों के साथ भू–राजस्व का स्थायी बंदोबस्त या दमामी बंदोबस्त था।

कार्नवालिस के दिमाग में बहुत कुछ इस प्रकार की बातें थीं : जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त उन्हें कंपनी शासन के पक्के मित्र बना देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और स्थिरता का वातावरण पैदा करेगा जिसका कृषि अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ेगा। सरकार की भू–राजस्व मांग की स्थायी सीमा निर्धारित करने से जमींदारों को जंगल साफ करने तथा खेती की जमीन के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही भू–राजस्व के मामले में काफी निश्चितता और व्यवस्था आ जाएगी। स्थायी बंदोबस्त सरकारी राजस्व मांग के नियमित समयनिष्ट भुगतान की गारंटी करेगा और सरकार लगान की वसूली तथा राजस्व मामलों के इंतजाम के झमेले से मुक्त हो जाएगी।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

जमींदारों को भी फायदा होगा क्योंकि उनकी आय बढ़ जाएगी। यह वृद्धि (क) खेती के अंतर्गत भूमि के क्षेत्रफल का विस्तार होने, और रैयतों के साथ भविष्य में नई बंदोबस्तियों में लगान की दर में वृद्धि के परिणामस्वरूवप रैयती लगान की राशि के बढोत्तरी के कारण होगी। राजस्व के ठेकेदारों आय का एक हिस्सा रैयतों को कृषि के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल तथा कृषिगत उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भौतिक प्रोत्साहन और सुविधाएँ प्रदान करने पर खर्च करेंगे जिससे नई बंदोबस्तियों की लगान की दर में वृद्धि होगी।

जहां तक रैयतो का सवाल था उनके परंपरागत अधिकरों और विशेषताओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी थी। इस उद्देश्य से किसानों को जमींदारों द्वारा पट्टा दिया जाना था। पट्टा एक लिखित दस्तावेज था जिसमें रैयत की जोत के बारे में सभी ब्यौरे शामिल थे। पट्टा पाने वाले रैयत की लगान निश्चित रहती थी और उसे जमींदार मनमाने ढंग से बेदखल नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह उत्पादन संबंधी निर्णय में स्वतंत्र था। इस तरह स्थायी बंदोबस्त के सूत्रधार पट्टा संबंधी विनियमों के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि बढ़े हुए उत्पादन के लाभ रैयतों को ही मिलें। उनको आशा थी कि इससे रैयत निवेश कार्यो में दिलचस्पी लेंगे जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। चूंकि रैयत से जमींदार की लगान संबंधी मांग को सीमित करने और अबवाब (गैर कानूनी उपकर) लगाने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई इसलिए उम्मीद थी कि ब्रिटेन में बनी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। संक्षेप में यही था स्थायी बंदोबस्त लागू करने के निर्णय का आधार। शुरू में, 1789 में, जमींदारों के साथ इस विचार से एक दससाला बंदोबस्ती की गई कि अंततः उसको स्थायी कर दिया जाएगा। चार वर्ष बाद ही इस बंदोबस्त को स्थायी घोषित कर दिया गया।

जिन जमींदारों के साथ बंदोबस्ती हुई, उन्हें जमीन के ऊपर स्वामित्व के अधिकार को दिया गया। इन विनियमों का उद्देश्य अपनी जोतों पर रैयतों के अधिकार को तब तक बनाए रखना था जब तक वे अपनी लगान अदा करते रहें।

भू–राजस्व की सरकारी मांग को आम तौर से तत्कालीन लगान राशि का 10/11 तय किया गया और उसे उसी राशि पर सदा के लिए स्थिर कर दिया गया। साथ ही जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे भू–राजस्व की सरकार मांग का भुगतान हर हालत में नियमित रूप से निर्धारित समय पर करेंगे।

कार्नवालिस की धारणा थी कि इस प्रणाली के लागू होने से बूरे जमींदारों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि वे राजस्व की सरकारी मांग को अदा नहीं कर पाएंगे और दीर्घकाल में केवल कुशल और अच्छे जमींदार इसमें टिके रह पाएंगे। इसी कारण उन्होने जोर देकर कहाः ''सरकार के लिए यह बात तब तक कोई मायने नहीं रखती कि किस व्यक्ति का भूमि पर अधिकार है जब तक वह उसे जोतता, रैयतो की रक्षा करता और सार्वजनिक राजस्व का भुगतान करता है।''

आने वाले डेढ़ सौ सालों के दौरान स्थायी बंदोबस्त के कार्य चालन ने कार्नवालिस की प्रत्याशाओं पर पानी फेर दिया। 'सूर्यास्त के नियम' (जिसके अनुसार नियत तिथि को हो जाती थी) और भू–राजस्व की भारी मांगों के कारण अनेक मूल स्वामियों के हाथों से जमींदारियां निकल गईं और शहरी क्षेत्रों के नए रईसों ने उनकी नीलामी ले ली। इन नए रईसों को अपनी बचतों के निवेश, नियमित प्रतिफल, पूंजी के मूल्य में वृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ौतरी के निरापद मार्गो की तलाश थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. बी. एच. बैडेन–पावेल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एण्ड टेन्युर इन ब्रिटिश इण्डिया, नई दिल्ली, 1878, पृ. 168।
2. शाह, सिक्सटी इयर्स ऑफ इंडियन फेमिंस, पृ. 196, 200।
3. थॉमस, लोकनाथन, दि इकोनामिक्स ऑफ गोखले, पृ. 123।
4. बी. बी. मिश्रा, दि इंडियन मिडिल क्लासेज–देयर ग्रोथ इन माडर्न टाइम्स, पृ. 350।
5. दत्त, पीजंटरी इन बंगाल, 1874, पृ. 46।
6. इंपीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया (1908), पृ. 239, स्ट्रैची : इण्डिया (1903), पृ. 125।

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)